उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग 2-

संख्या-1248/ग्यारह-2-24-9(47)/17-टी0सी0-266-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(329)-2024

लखनऊः दिनांकः **29-10-2024**

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और अधिसूचना संख्या-594/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(189)-2021 दिनांक 29 जून 2021 का उन बातों के सिवाय अधिक्रमण करके जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गयी हो या किये जाने हेतु लोपित हो, राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन संदेय विलंब फीस की धनराशि को, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, जिसके लिए उक्त अधिनियम की धारा 51 के उपबंधों के अधीन स्रोत पर कर कटौती करना अपेक्षित है, माह जून, 2021 के लिए, प्ररूप जीएसटीआर-7 में नियत दिनांक तक विवरणी प्रस्तुत करने की विफलता हेतु, उस अवधि के लिए जिसके दौरान ऐसी विफलता जारी रहती है, जोकि पच्चीस रुपये प्रतिदिन की धनराशि से अधिक है, का अधित्यजन करते है:

परंतु यह कि उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन कुल संदेय विलंब फीस की धनराशि, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, माह जून, 2021 हेतु, नियत दिनांक तक प्ररूप जीएसटीआर-7 में विवरणी प्रस्तुत करने में विफलता के लिए, जो एक हजार रुपये की धनराशि से अधिक है, का अधित्यजन किया जाता है।

परंतु यह और कि उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन संदेय विलंब फीस की कुल धनराशि, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जो नियत दिनांक तक एक मास के लिये प्ररूप जीएसटीआर-7में विवरणी प्रस्तुत करने में विफल रहता है, जहां उक्त मास में स्रोत पर कटौती किए गए राज्य कर की कुल धनराशि शून्य है, का अधित्यजन किया जाता है।

2. यह अधिसूचना दिनांक 1 नवंबर, 2024 को प्रवृत्त होगी।

आज्ञा से,

Signed by

M Devaraj

Date: 29-10-2024 18:22:12

(एम0 देवराज)

प्रमुख सचिव